UPBJ010029912023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, बिजनौर।

सत्रवाद संख्याः– 601/2023

सरकार बनाम पवन आदि

मुकदमा अपराध संख्याः–607/2019
धाराः–302, 394, 411, 120बी, 201 भा0दं0सं0
थानाः–चांदपुर, जिला बिजनौर।

दिनांक–10–05–2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र ख–47 नियत है। विगत तिथि पर प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त रहीश पुत्र तौफीक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र ख–47 पर सुना जा चुका है।

प्रार्थना पत्र ख–47 प्रार्थी/अभियुक्त रहीश पुत्र तौफीक की ओर इस इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी वाद उपरोक्त में अभियुक्त है, वाद उपरोक्त की एफ0आई0आर0 साजिद पुत्र शरीफ अहमद के द्वारा मु0अ0सं0 607/2019, थाना चांदपुर में अज्ञात में धारा 394, 302 भा0दं0सं0 में पंजीकृत करायी गयी थी, जिसमें बताया गया था कि दिनांक 31–08–2019 को समय 9:45 बजे सुबह वादी का भाई वाजिद पुत्र शरीफ चांदपुर से अपनी मोटर साईकिल से हसीनुद्दीन पुत्र हमीदुल्ला व रईस पुत्र तौफीक के साथ भैंस बेच कर वापस जा रहा था, रास्ते में अज्ञात बदमाशों द्वारा वाजिद पुत्र शरीफ की गोली मार कर हत्या कर दी गयी और बदमाशों के द्वारा वाजिद व हसीनुद्दीन से लूट की गयी। रईस ने भाग कर बाजरे के खेत में छिप कर अपनी जान बचायी। विवेचना के उपरान्त विवेचनाधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विवेचनाधिकारी के द्वारा नोट किये गये किसी भी गवाहान के बयान में प्रार्थी के द्वारा कोई अपराध किया जाना नहीं बताया गया है। इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। न्यायहित में प्रार्थी को उपरोक्त अपराध से डिस्चार्ज किया जाना अति आवश्यक है। उक्त कथनों के साथ प्रार्थी/अभियुक्त रहीश पुत्र तौफीक को उपरोक्त अपराध में डिस्चार्ज किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त रहीश पुत्र तौफीक उपरोक्त घटना कारित करने में शामिल अभियुक्त पवन को पूर्व से जानता था तथा उसके द्वारा घटना वाले दिन अभियुक्त पवन को पहचान भी लिया गया था, परन्तु उसके द्वारा पुलिस को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया। जिसका

खुलासा केस डायरी सं0 13 पर उल्लेखित किया गया है, जिसमें अभियुक्त रहीश पुत्र तौफीक द्वारा अभियुक्त पवन को पहले से जानने का कथन किया गया है। अभियुक्त पवन को पहले से जानने के बावजूद अभियुक्त द्वारा पुलिस को इसके बारे में न बताना स्पष्ट रूप से यह साबित करता है कि अभियुक्त रहीश पुत्र तौफीक भी अन्य अभियुक्तगण के साथ इस घटना में शामिल रहा है। अतः इस स्तर पर अभियुक्त रहीश द्वारा प्रस्तुत डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाये।

मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि मु0अ0सं0 607/2019 थाना चांदपुर पर वादी मुकदमा साजिद द्वारा उसके भाई वाजिद की दिनांक 31–08–2019 को हत्या एवं लूट के सम्बन्ध में दर्ज कराया गया था। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना यह पाया गया कि अभियुक्त रहीश पुत्र तौफीक ने अभियुक्त पवन को पूर्व से जानने वाली बात छिपायी थी, जिसे स्वयं अभियुक्त ने स्वीकार किया था। अभियुक्त द्वारा उपरोक्त अभियोग में उपस्थित होकर अपनी जमानत भी करायी गयी है। अभियुक्त द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 में जो आधार लिये गये हैं, उनका निस्तारण साक्षीगणों की साक्ष्य आने के पश्चात ही किया जा सकता है। अतः अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0, कागज सं0 ख–47 निरस्त किया जाता है। पत्रावली अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु दिनांक 24–05–2024 को पेश हो।

दिनांकः– 10–05–2024

(प्रशान्त मित्तल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03,
बिजनौर।